ISSN 0372-1426

Review of Politics
Vol. XXVII, No. 1-2, Jan.-June & July-Dec., 2019

गठबंधन के दौर में स्थायित्व, क्षेत्रवाद, जातिवाद और दल-बदल की राजनीति : एक अध्ययन

प्रिय रंजन*

परिचय :

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में बहुदलीय पद्धति को अपनाया गया है। 1952 के आम चुनाव से लेकर 2019 तक के आम चुनाव तक विभिन्न राजनीतिक दलों ने राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयास किया है लेकिन दलों की अधिकता ने भारत की राजव्यवस्था को कई बार नुकसान भी पहुँचाया है। 'कांग्रेस सिस्टम' के बाद से भारत में कई दलों का एक साथ मिलकर सरकार बनाने का सिलसिला शुरू हुआ जिसे गठबन्धन सरकार कहा जाता है। विगत् तीन दशकों से भारत में गठबन्धन सरकारें बनती रही हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र में गठबंधन सरकारों का राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

भूमिका :

भारत में लोकतांत्रिक मूल्य प्राचीन काल से ही विद्यमान रहे हैं। इसके प्रमाण बौद्ध ग्रन्थ अंगुत्तरनिकाय अट्ठल निपात, रामायण और महाभारत जैसे ग्रन्थों में मिलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात यह व्यवस्था जारी रही। जब संविधान सभा का गठन हुआ तभी पण्डित नेहरू के नेतृत्व में एक अन्तरिम सरकार गठित हुई जिसमें कांग्रेस सहित कई दल सम्मिलित थे। 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। यहाँ से लेकर चौथे आम चुनाव के पहले तक कांग्रेस का भारतीय राजनीति में वर्चस्व रहा। 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई। फिर भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। केन्द्र में उसी की सरकार बनी लेकिन उत्तर प्रदेश सहित नौ राज्यों में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों पर निर्भर होना पड़ा। राज्यों में यही से गठबन्धन का युग शुरू हुआ। ध्यातव्य है कि 1952 के आम चुनाव में त्रावणकोर कोचीन में कांग्रेस की गठबनन सरकार बनी (कोठारी 2002 पृ०-1)। 1969 तक कांग्रेस पार्टी में आन्तरिक कलह के कारण फूट पड़नी सुनिश्चित हो गयी। 1969 में कांग्रेस दो हिस्सों कांग्रेस (R) कांग्रेस (O) में बँट गयी, कांग्रेस (R) का नेतृत्व इन्दिरा गाँधी ने किया और उन्होंने कुछ दलों के साथ मिलकर केन्द्र में पहली गठबन्धन सरकार बनायी। यद्यपि केन्द्र में गठबन्धन का यह पहला प्रयास था यथापि अपनी निजी आकांक्षाओं को देखते हुए श्रीमती गाँधी ने 1971 में आम चुनाव सम्पन्न कराया। अपने विरोधियों के लामबन्दी का ध्यान में रखते हुए उन्होंने 'गरीबी हटाओं' का नारा दिया और प्रचण्ड बहुमत के साथ सत्ता में आई किन्तु गलत नीतियों के चलते 1977 में हुए आम चुनाव के पश्चात उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा।

* शोध छात्र (राजनीतिशास्त्र विभाग), वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

1977 में हुए आम चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार केन्द्र में पहली गैर–कांग्रेसी गठबन्धन सरकार थी। भारतीय राजनीति में गठबन्धन सरकारों का वास्तविक दौर 1989 से देखने को मिलता है, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठबन्धन सरकार अस्तित्व में आई। उसके बाद चन्द्रशेखर सिंह की सरकार अस्तित्व मे आई। केन्द्र में 1991 में हुए आम चुनाव के पश्चात नरसिम्हा राव की सरकार बनी। यह पहली ऐसी सरकार थी जिसने गठबन्धन होने के बाद भी अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद 1996 से 1999 तक लगातार अस्थिरता का दौर जारी रहा किन्तु 1999 के बाद से अब तक केन्द्र में गठबन्धन की सरकारें रही हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल सफलता पूर्वक पूरा किया है।

गठबन्धन की सरकारों को दृश्टिगत रखते हुए राजनीति में इनकी स्थापना के पश्चात् आने वाली कमियों को निम्नांमित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है–

1. **स्थायित्व का खतरा**– भारत में पहली गठबन्ध सरकार श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में केन्द्र स्तर पर गठित हुई इसके पहले कांग्रेस पार्टी का दबदबा था इसी को रजनी कोठारी ने 'कांग्रेस सिस्टम' नाम दिया था। उन्होंने यह कहा कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत एक सशक्त सरकार की आवश्यकता थी जिसे कांग्रेस ने पूरा भी किया (कोठारी, 1964 पृ0 1161)। यह दौर बहुत लम्बे समय तक नहीं चल सका कांग्रेस में विभाजन हो गया। इस विभाजन के पश्चात् गठबन्धन सरकार बनी। 1969 की इन्दिरा सरकार इसी का परिणाम थी लेकिन यह सरकार भी बहुत लम्बे समय तक नहीं चल पाई यदि केन्द्र में बनने वाली जनता पार्टी की सरकार भी मात्र 850 दिन ही चल पाई यदि केन्द्र में बनने वाली सरकारों का विश्लेशण किया जाय तो विदित होता है कि इन सरकारों ने अस्थिरता को जन्म दिया है।

2. **क्षेत्रवाद तथा जातिवाद का बढ़ता दायरा**– संविद सरकार की यह सबसे बड़ी कमी रही है कि इनसे क्षेत्रवाद और जातिवाद को बढ़ावा दिया है। 1989 में जब जनता दल की सरकार बनी तो इनसे '3–ड' का कार्ड खेला– मन्दिर, मण्डल और मार्केट (योगेन्द्र यादव एवं अन्य, 2006 पृ० 98–101)। मण्डल जो वी०पी० सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट का संक्षिप्त रूप है। वी०पी० सिंह के पूर्व किसी भी सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू करने की हिम्मत नहीं की। इस रिपोर्ट के लागू होने के पश्चात भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया। इस रिपोर्ट का विशेश रूप से असर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति पर पड़ा। इसके पश्चात ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राश्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी का अभ्युदय हुआ। इन पार्टियों के कारण गठबन्धन की स्थिति कमजोर रही है।

क्षेत्रवाद की राजनीति भी गठबन्धन के लिए घातक साबित हुई क्षेत्रिय मुद्दों ने राश्ट्रीय मुद्दों को प्रभावित किया। क्षेत्रीय हित राश्ट्रीय हित से महत्वपूर्ण होने लगे। क्षेत्रवाद की इस राजनीति ने अस्मिता को बहुत अधिक चोट पहुँचाई। 'भूमि–पुत्र' के सिद्धान्त ने क्षेत्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। शिवसेना, असमगण परिषद, जैसे दलों ने इसकी राजनीति की और केन्द्र में तथा राज्यों में गठबन्धन में शमिल भी होते रहे।

पिछली केन्द्र सरकार ने यद्यपि अपना कार्यकाल सुचारू ढंग से पूरा किया यथापि शिवसेना और भाजपा की टकराहट यदा–कदा देखने को मिलती रही है। बहुत ही प्रयास के पश्चात शिवसेना और भाजपा का गठबन्धन 2019 के आम चुनाव में हो सका, वह भी अमित साह जैसे कुशल खिलाड़ी के चलते।

इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि सत्ता के लोलुपता के चलते गठबन्धन बनाए जाते रहें है और वे गठबन्धन लगातार टकराव की स्थिति में रहते हैं।

3. **दल–बदल की राजनीति का बदलता प्रभाव**– गठबन्धन की राजनीति ने दल–बदल को बढ़ावा दिया है। इससे भारत की दलीय व्यवस्थ कमजोर पड़ी है। 1967 के आम चुनाव के पश्चात दलीय व्यवस्था अत्यधिक कमजोर हुई। 1957 से 1967 के मध्य 10 वर्शों के अन्तराल में होने वाले दल परिवर्तनों से कांग्रेस को अत्यधिक लाभ मिला। इस दौरान कांग्रेस को छोड़ने वाले दलों की संख्या 98 थी और अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस में सम्मिलित होने वालों दलों की संख्या 419 थी। मात्र एक वर्श पश्चात यह स्थिति बदल गयी और यह संख्या क्रमशः 175 और 39 हो गयी (एस० एम० सईद, 2001 पृ० 77)।

1985 में दल–बदल अधिनियम 52 वें सर्वधानिक संशोधन और 2003 में इसे और मजबूत करते हुए 91वें संविधान संशोधन को किया गया (भारत का संविधान, 2010)। इन संशोधनों का भी कोई बहुत अधिक प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिखलायी पड़ रहा है। सम्प्रति भारत की दलगत राजनीति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित करने लगी है। अत्यधिक दलों के कारण गठबन्धन का बनना स्वाभाविक है और इससे बड़े दलों को लगातार नुकसान उठाना पड़ा है। राश्ट्रीय दल अपनी अस्मिता के संकट से जूझ रहे है। 2009 में भाजपा, 2014 और 2019 में कांग्रेस जैसी पार्टी आज अगर भारतीय राजनीति हाशिए पर खड़ी है तो इसके लिए कहीं न कहीं विभिन्न मुद्दों पर आधारित छोटी–छोटी पार्टियाँ है। वर्तमान समय में कार्नाटक में यही स्थिति बनी हुई है जहाँ कांग्रेस ने जनता दल (स0) के साथ गठबन्धन सरकार बनायी और पार्टी होने के बावजूद कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया और लगातार सौदेबाजी को झेल रही है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि गठबन्धन की राजनीति में दलीय दुश्चक्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राजनीति व्यवस्था को गहरी चोट दी है।

गठबन्धन की राजनीति में इस बात की सदैव समस्या रही है कि किसी भी विषय में आम सहमति कैसे बनायी जाए। अस्थिर सरकारों में यह सामान्य बात थी। जबसे गठबन्धन की राजनीति में स्थायित्व (1999 के बाद) आया तब से सरकार में सम्मिलित दलों के बीच आम सहमति को लेकर के हमेशा खींचा–तानी होती रही है। यू0पी0ए0–1 के कार्यकाल में '123 एग्रीमेण्ट' जिसे 'हाइड एक्ट' भी कहा जाता है। (मारिया सुल्तान व अन्य, 2008) को लेकर तत्कालीन गठबन्धन में लगातार खिंचा–तानी का दौर चलता रहा। इसी प्रकार चुकि गठबन्धन सरकारें अलग–अलग सिद्धान्तों वाले दलों पर आधारित होती है, इस कारण उनके मध्य मतभेद की स्थिति बनी रहती है। केवल सरकार बचाने के निमित कई बार इन सिद्धान्तों के आगे राश्ट्रीय हित को भी नकार दिया जाता है।

गठबन्धन की सरकारों में यह भय सदैव बना रहता है वह कभी भी सरकार गिर सकती है और स्थिति में दुबारा चुनाव की स्थिति बन जाती है। गठबन्धन सरकारों के द्वारा सम्प्रदायिकता और भाशावाद जैसे मुद्दों को भी यदा–कदा उठाया जाता रहा है, जो राश्ट्रीय एकीकरण के लिए धातक है। गठबन्धन की इसी राजनीति के चलते शाहबानों मामले और राम मन्दिर मुद्दें ने तूल पकड़ी। आरक्षण का दौर भी इस राजनीति का ही परिणाम रहा है, चाहे वह जातिगत आधार पर हो अथवा आर्थिक आधार पर निःसंदेह इसने अपने सत्ता की लोलुपता के चलते समाज को वर्गों में विभाजित किया है।

चाहे सरकारें चुनाव पूर्व रहीं हो अथवा चुनाव पश्चात गठबन्धन की राजनीति अपने पुराने ढर्रे पर चलती रही हैं। बावजूद इसके गठबन्धन की राजनीति के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। इससे संघवाद को मजबूती मिली है, साथ ही इसने अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधित्व को भी मजबूती प्रदान की है।

संदर्भ :

1. एस० एम० सईद, 2001 ''भारतीय राजनीतिक व्यवस्था'' सुलभ प्रकाशन लखनऊ।
2. भारत का संविधान (वेयर एक्ट), 2010 सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद।
3. मरिया सुल्तान एवं मियाँ बेहजाद आदिल, 2008, ''द हेनरी जे० हाइड एक्ट एण्ड 123 एग्रीमेंट : एन अस्सिमेन्ट'' लंदन : साऊथ एशियन स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी इन्स्टीच्यूट।
4. योगेन्द्र यादव और सुहास पलिश्कर 2006, ''पार्टी सिस्टम एण्ड एलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन द इण्डियन स्टेटस' 1952–2002– फ्रॉम हेजिमोनी टू कन्वर्जेन्स' ई० श्रीधरन एण्ड पीटर रोनाल्ड डिसूजा (स0) इण्डियाज पॉलिटिक पार्टीज नई दिल्लह, सेज प्रकाशन।
5. रजनी कोठारी 1964 ''द कांग्रेस सिस्टम इन इण्डिया'' एशियन सर्वे, वा-IV नं० 12
6. रजनी कोठारी 2002 ''द कांग्रेस सिस्टम इन इण्डिया'' जोया हसन (स०) पार्टीज एण्ड पार्टी पॉलिटिक्स इन इण्डिया, नई दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।